



## Stars Shone, Teleprompters Struggled and Hunger...

Let's talk about the real shocker of the night. It was seeing Bollywood actors live. On screen, they are larger than life, chiseled, glowing, and seemingly immune to the laws of physics. But in person? They're TINY.

## When Cricket Took Over Bollywood...

Team India's phenomenal Champions Trophy victory sending the crowd at JECC into an absolute frenzy at IIFA

# ट्रम्प के मनमर्जी वाले निर्णय व लगातार इकॉनमी पर हो रहे आक्रमण से तंग आया कैनडा

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहु प्रतिष्ठित बैंकर, मार्क कार्नी, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, को कैनडा का प्र.मंत्री बनाया गया

## हाई कोर्ट ने परकोटे के 19 भवनों का यथास्थिति का आदेश समाप्त किया

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने पर्यावरण के आवासीय इलाकों में प्रवाससायक गतिविधियों को समालोचन में अवैधता पर चिन्तिता 19 भवनों पर गत 7 मार्च को दिए यथार्थताविदेश को समाप्त कर दिया। अदालत ने कहा कि 25 फरवरी को इन भवनों को सील करने का आदेश समानान्तर खंडपीठ ने दिया था। ऐसे में वह उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। प्रभावित भवन मालिक चाहें तो उस खंडपीठ के समक्ष अपील कर सकते हैं। खंडपीठ को सुप्रीम कोर्ट में अपील

अदालत ने कहा कि समानान्तर खंडपीठ 25 फरवरी को इन भवनों को सील करने का आदेश दे चुकी है। ऐसे में वे उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

करें, लेकिन मामले में दिया यथा-स्थिति का आदेश जारी नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंगों पर सुनवाई करते हुए दिए। जस्टिस साहू ही, अदालत ने तैर प्रभावित को मामले में पक्षकार के तौर पर शामिल कर लिया है।

सुनवाई के दौरान, प्रभावित भवन मालिकों की ओर से कहा गया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर गत 25 फरवरी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जेईएन भर्ती पेपर लीक में आरोपी जगदीश विश्नोई को जमानत मिली

## राहुल गाँधी व खड़गे ने फर्जी वोटर लिस्ट का मामला पुरजोर ढंग से उठाया संसद में

## हाईकोर्ट ने नीलामी और एक्साइज़ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 1241 शराब की दुकानों की मंगलवार को होने जा रही नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकारोंओं को सूट दौ है कि वे नीलामी में शामिल हो सकते हैं। वहाँ, अदालत ने कहा कि मात्र याचिका लंबित रहने को नीलामी में याचिकाकारों की अयोग्यता नहीं माना जाए। इसके अलावा, याचिकाकारोंओं की दुकानों की नीलामी को अदालत में याचिका के निर्णय के अधीन रहा है।

चीफ जस्टिस (सी.जे.) एमएल श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आश्रय सीता देवी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर अन्वय करते हुए दिए।

अदालत में इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास और उनके सहायक अधिवक्ता कपिल

टैंकर-जीप टक्कर  
में 9 मरे और  
12 घायल

सीधी, 10 मार्च। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में टैंकर और जीप की टक्कर में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 घायलों में से 7 की हालत गंभीर है।

हादसा कोतवाली थाना इलाके में हुआ। मृतकों में पांच महिलाएं और तीन

■ अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी राहत देते हुए कहा कि वे भी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं और उनकी याचिका लंबित होना, उन्हें नीलामी में भाग लेने से वंचित नहीं रख सकता। अदालत ने कहा कि सरकार उन्हें अप्रोग्य घोषित नहीं कर सकती।

व्यास पर्वी के लिए पिेश हुऐ थो। उन्हींने अदालत से कहा कि राज्य सत्कारन के लिये पहिली बार एक वर्ष या ज्यादा से ज्यादा दो दो वर्ष के लिए बिक्री पर नियंत्रण वे ले जाएँ। ‘एक्ससाइज पाॅलिसी ला रही है, जो 2029 तक लागू रहेगी’ उन्हींने कहा कि यह फैसला सत्कारन नै इसलिए लिया कि ताकि राष्ट्रपति के साथ मिलकर एक ऐसी स्थिति नीतीत लागू की जाए, जिससे विभागा के हीन हों, बल्कि इस व्यवस्था से जुड़े व्यवसायियों को भी लाभ हो। उन्हींने अदालत को बताया कि सरकार की बिक्री पर एक्ससाइज राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें

2025-26 में 17 हजार करोड़ का राजस्व कमाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि नीति को व्यवसायिक ने खुले दिल से अपनाया है और 7665 दुकानों में से 6418 दुकानें पहले ही नीलामी में बेची जा चुकी हैं और वर्षागमन में केवल 1247 दुकानों की नीलामी ही शेष है। उन्होंने बताया कि 1247 दुकानों की नीलामी से राज्य सरकार को 2 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का अनुमान है। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्षागमन नीति में 'कंसाटर सिस्टम' को अपनाया गया है, ताकि वसायिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाई कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउण्ड उसकी जमानत याचिका खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता।

को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश जायदोश विशनोई की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि याचिकाकार को कई अपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है, लेकिन इस मामले में उसके खिलाफ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-डॉ. सतीश मिश्रा -

**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 10 मार्च। संसद के दोनों सदनों के नेता-राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज माँग की कि मतदाता सूची में कथित विसंगतियों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाये।

राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुये, खड़गे ने माँग की कि सदन का सभी सूचीबद्ध कार्य आज निलम्बित कर दिया जाये तथा मतदाता सूची में वोटर आईडी के प्रकाशन पर चर्चा की जाये।  
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान

इस मुद्दे का उठाते हुये, राहुल गांधी ने कहा, “पूरे देश में मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के मतदाताओं की काली और सफेद सूची के बारे में सवाल खड़े किये जा रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि मतदाता सूची पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये।”

तब मैं, खड़गे ने कहा कि पूरा

■ इस बात पर संशय जताया गया, कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बीच अचानक लाखों वोटर कैसे बढ़ गये। तथा, अभी तक चुनाव आयोग ने, जिस वोटर लिस्ट से चुनाव कराये गये हैं, उसकी प्रतिलिपि क्यों उपलब्ध नहीं कराई है।

विपक्ष उन संदेहों पर विस्तृत चर्चा चाहता है, जो मतदाता सूची की विभिन्न विसंगतियों के बारे में पैदा हुये हैं। संसद को चाहिये कि वह लोकतंत्र और संविधान में लोगों की आस्था की रक्षा करे।

इलेक्शन फोटो आइडेन्टिटी कार्ड (ईपीआईसी) में डुप्लीकेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) द्वारा जारी किये गये बयान का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा, "मार्च 2025 को अपना प्रवेश विज्ञापित" अनुसार, ईसीआई ने देश के इलेक्ट्रॉनिक रिजिस्ट्रार में विसंगतियों को स्व-स्वीकार किया है। सभी राज्यों

तथा अकारण हटाया जाना, डुप्लीकेट ईपीआईसी नम्बरों की मौजूदगी तथा ऐसे ही अन्य संगीन मुद्दे हमारी चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं तथा इन पर तुरन्त ध्यान देने तथा संसद में चर्चा कराये जाने की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हुई ये अनियमिततायें चुनावों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोजन के लिये खतरा हैं तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिये यह अत्यावश्यक है कि संसद में इस मामले पर विस्तृत चर्चा कराये।

राहुल गांधी ने कहा, “महाराष्ट्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं के संबंध में मेरी प्रैस कॉन्फ्रेंस को हुये एक महीने से ज्यादा समय हो गया। लेकिन जो माँग हमने ईसीआई से की थी, वे अभी पूरी नहीं हुई हैं। आज भी वे प्रश्न उसी रूप में बने हुये हैं। अब मतदाता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग सैन्टर  
विद्यार्थियों की  
आत्महत्याओं के  
मामले की सुनवाई 2  
सप्ताह बाद

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा में इसी सत्र में बिल पेश किया जाएगा। महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए, अदालत ने मामले में सुनवाई दो सप्ताह के लिए

- महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि कोचिंग सैन्टर नियामक बिल विधानसभा के इसी सत्र में आएगा।

ताल दी है। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

CMYK        CMYK